जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे.1858 दि. 29.01.21

आदेश

विषयः– विद्युत चोरी से संबंधित सतर्कता जांच प्रकरणो के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही।

माननीय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के आदेश दिनांक 22.12.2020 द्वारा विद्युत चोरी से संबंधित सतर्कता जांच प्रकरणो के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही निर्धारित की गई है। उक्त आदेश की अनुपालना में पूर्व में विद्युत चोरी से संबंधित सतर्कता जांच प्रकरणो में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में जारी सभी आदेशों/निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं।

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुरूप विद्युत चोरी के मामलों में प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही सतर्कता जांच में पारदर्शिता रखना एवं सतर्कता जांच प्रतिवेदन के दुरूपयोग को रोकना भी आवश्यक है। विद्युत चोरी की प्रभावी रोकथाम के लिए सतर्कता जांच हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जावेगी।

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय–समय पर विद्युत उपभोक्ता के परिसर की जांच करेंगे जिसमें कई बार विद्युत चोरी या विद्युत चोरी किये जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तदानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित उपभोक्ता के प्रतिनिधि के समक्ष सतर्कता जांच प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा एवं अन्य निर्धारित कार्यवाही मौके पर की जाकर सतर्कता जांच प्रतिवेदन की प्रति संबंधित उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जावेगी और मौके पर कनेक्शन काटा जावेगा। तत्पश्चात उपभोक्ता का राजस्व व अन्य रिकॉर्ड देखकर प्रशमन राशि एवं वैधानिक दायित्व का आकलन कर कुल राशि 7 दिन की अवधि में जमा कराने हेतु उपभोक्ता को नोटिस जारी किया जावेगा।

1. उपभोक्ता द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरण :–

1.1 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज किये जाने वाले प्रकरण–

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपभोक्ता के परिसर की जांच करने पर यदि उपभोक्ता के परिसर में प्रथम दृष्ट्या विद्युत चोरी के साक्ष्य मिलते है, तो ऐसे प्रकरणों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत सतर्कता जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाये।

मीटर में दर्ज विद्युत करन्ट एवं मीटर की लोड लाईन में टोंग टेस्टर द्वारा मापा गया विद्युत करन्ट में अन्तर पाया जाता है तो यह अपने आप में ही प्रथम दृष्ट्या विद्युत चोरी का पर्याप्त साक्ष्य माना जाये।

1.2 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 के अंतर्गत दर्ज किये जाने वाले प्रकरण–

विशेष परिस्थितियों में जहां उपभोक्ता द्वारा चोरी के साथ दुर्भावनापूर्ण निगम के ट्रांसफार्मर के मीटर बक्से की वैल्ड़िग तोड़ना, सीटी–पीटी सैट व टीटीबी को गम्भीर रूप से क्षति पहुंचाना, निगम की लाईन से अवैध ट्रांसफार्मर जोडकर विद्युत चोरी करना एवं निगम के उपकरणों को गम्भीर क्षति पहुंचाना पाया जाता है तो ऐसे प्रकरणों को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अतिरिक्त, धारा 138 के अन्तर्गत भी दर्ज किया जाकर, जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाये।

1.3 विद्युत संबंध विच्छेदित करना :–

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत बनाए हुए जांच प्रतिवेदन पर दोषी उपभोक्ता का मौके पर विद्युत कनेक्शन आवश्यक रूप से विच्छेदित किया जाकर, यथासम्भव मीटर व सर्विस लाईन को जब्त किया जायेगा एवं मौके पर उपभोक्ता को जांच प्रतिवेदन तथा फर्द जब्ती की प्रति उपलब्ध करवायी जावेगी। इसकी सूचना संबंधित फीडर इंचार्ज/कनिष्ठ अभियंता को भी मोबाईल पर एसएमएस द्वारा दी जाये।

कनिष्ठ अभियंता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे उपभोक्ताओं का विद्युत संबंध प्रकरण की पूर्ण कार्यवाही होने तक विच्छेदित रहे।

अगर उपभोक्ता वीसीआर/फर्द जब्ती की प्रति लेने से मना करता है तो ऐसी स्थिति में दोनो की प्रति चस्पा किया जाना सुनिश्चित करे। जांच अधिकारी द्वारा सतर्कता जांच प्रतिवेदन एवं फर्द जब्ती की एक प्रति सम्बन्धित विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में 24 घण्टे की अवधि में आवश्यक रूप से सूचनार्थ भेजी जाये।

1.4 वैधानिक दायित्व एवं प्रशमन राशि (civil liability & compounding charges) के निर्धारण व वसूली की प्रकियाः–

जांच अधिकारी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत उपभोक्ता को विद्युत चोरी के प्रथम अपराध में वैधानिक दायित्व एवं प्रशमन राशि (civil liability & compounding charges) की गणना की सूचना संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय के मार्फत 24 घन्टे के अन्दर लिखित में आवश्यक रूप से दी जावे। अगर उपभोक्ता वैधानिक दायित्व एवं प्रशमन राशि (civil liability & compounding charges) जमा कराना चाहे, तो बिना किसी समय सीमा के निगम के अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किया जा सकता है।

ऐसे प्रकरण, जिनमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज हो चुकी है एवं उपभोक्ता उपरोक्त राशि जमा कराना चाहता है, तो अधिकृत अधिकारी उसकी राशि भी जमा करके सम्बधित थाने में सूचना भेजना सुनिश्चित करें। यदि उपभोक्ता उपरोक्त राशि जमा करवा देता है तो संबंधित सहायक अभियंता उसका कनेक्शन 48 घंटे की अवधि में पुर्नस्थापित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

ऐसे विद्युत चोरी के प्रकरण, जो कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 में दर्ज किये जाते है, उनमें भी यदि उपभोक्ता चाहे तो विद्युत चोरी के प्रथम अपराध के मामले में वैधानिक दायित्व एवं प्रशमन राशि (civil liability & compounding charges) जमा करा सकता है, जिससे उसका प्रकरण धारा 135 एवं 138 में कम्पाउण्ड हो जावेगा एवं नियमानुसार विद्युत संबंध पुर्नस्थापित किया जा सकेगा। यदि प्रकरण केवल धारा 138 के अन्तर्गत दर्ज किया गया तो ऐसे मामलों में कम्पाउण्डिंग नही होगी एवं नियमानुार धारा 138 के तहत विधिक कार्यवाही जारी रहेगी।

अगर उपभोक्ता 7 दिवस में वैधानिक दायित्व एवं प्रशमन राशि (civil liability & compounding charges) जमा नहीं कराता है, तो चैकिंग अधिकारी सम्बन्धित विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने को आरोपी के विरूद्ध उचित विधिक कार्यवाही हेतु सूचित करेंगे।

2. **<u>गैर उपभोक्ताओ द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरण</u>** :-

2.1 ऐसे गैर उपभोक्ता, जो कि निगम की लाईन से सीधे तार जोड़कर विद्युत चोरी में लिप्त पाये जाते है उनकी सतर्कता जांच प्रतिवेदन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत तैयार करके मौके पर अनाधिकृत तार आवश्यक रूप से जब्त किये जावें।

2.2 गम्भीर प्रकरणों जैसे अनाधिकृत ट्रांसफार्मर को निगम की विद्युत लाईन से जोड़ कर विद्युत चोरी करना, अवैध समानान्तर विद्युत लाईन डालकर विद्युत चोरी करना आदि में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 (दोनों) के अंतर्गत प्रतिवेदन तैयार किये जाये।

2.3 चोरी में लिप्त गैर उपभोक्ता का मौके पर सतर्कता जांच प्रतिवेदन तैयार करके उसकी एक प्रति (वैधानिक दायित्व एवं प्रशमन राशि (civil liability & compounding charges) की गणना एवं मौके के साक्ष्य सहित) सम्बन्धित विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में 24 घण्टे की अवधि में आवश्यक रूप से सूचनार्थ भेजनी होगी।

2.4 गैर उपभोक्ता द्वारा विद्युत चोरी के प्रथम अपराध (धारा 135 व 138 के अन्तर्गत) में वैधानिक दायित्व एवं प्रशमन राशि (civil liability & compounding

charges) जमा कराने पर उसका प्रकरण कम्पाउन्ड हो जायेगा एवं वह विधिक कार्यवाही से मुक्त हो जायेगा।

2.5 गैर उपभोक्ताओं के विद्युत चोरी के प्रकरण सम्बन्धित थाने में आने के बाद उनके अंतिम निस्तारण की जिम्मेदारी सम्बन्धित थाना अधिकारी की होगी। संबंधित थानाधिकारी गैर उपभोक्ताओं के प्रकरण में प्राथमिकता से मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3. <u>विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने की भूमिका :–</u>

3.1 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 में दर्ज प्रकरणों में ऐसे उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता, जिन्होने वैधानिक दायित्व एवं प्रशमन राशि (civil liability & compounding charges) जमा नहीं कराई है एवं निर्धारित अवधि में अपना प्रकरण राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है उन प्रकरणों में विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने द्वारा विधिक कार्यवाही की जावे। अनुसंधान अधिकारी द्वारा ऐसे प्रकरणों में धारा 138 के साक्ष्य पाये जाने पर आवश्यक रूप से उसके अनुरूप भी विधिक कार्यवाही की जावेगी।

3.2 ऐसे प्रकरण जो कि विद्युत अधिनियम 2003 की केवल धारा 138 के अंतर्गत दर्ज किये गये है। ऐसे प्रकरणों में विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में आवश्यक रूप से मुकदमा दर्ज किया जाकर, विधिक कार्यवाही पूर्ण की जावेगी। ऐसे प्रकरणों में संबंधित थानाधिकारी उसके अंतिम निस्तारण के लिए उत्तरदायी होंगे।

3.3 अनुसंधान अधिकारी को अपने अनुसंधान में अन्य धाराओं (यथा 138, 150 आदि) में अपराध के साक्ष्य पाये जाने पर उपभोक्ताओं/निगमकर्मी के खिलाफ अनुसंधान अधिकारी, उपरोक्त धाराओं में भी विधिक कार्यवाही करेंगे।

3.4 थानाधिकारी/जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत ऐसे उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता, जो कि विद्युत चोरी में दूसरी बार लिप्त पाये जाते है, उन पर आवश्यक रूप से मुकदमा दर्ज कर, विधिक कार्यवाही करें। ऐसे प्रकरणों में प्रशमन राशि (compounding charges) स्वीकार नहीं की जावेगी।

3.5 विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने में प्राप्त सभी सतर्कता जांच प्रतिवेदनों का लेखा–जोखा आवश्यक रूप से संधारित किया जावे एवं संबंधित थानाधिकारी ऐसे दर्ज प्रकरणों का वीसीआर की दिनांक से यथासंभव 90 दिवस की अवधि में पूर्ण निस्तारण करेंगे।

3.6 थानाधिकारी/जांच अधिकारी विद्युत चोरी के प्रकरणों में सभी सम्भावित साक्ष्य यथा फोटोग्राफ्स, फर्द जब्ती, नक्शा मौका, बयान इत्यादि, एकत्रित कर अपने प्रकरण को मजबूती से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे आरोपी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

3.7 थानाधिकारी प्रत्येक माह में की गई कार्यवाही एवं जमा की गई प्रशमन राशि की सूचना आवश्यक रुप से संबंधित उपखण्ड में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। जांच अधिकारी सतर्कता जांच के दौरान सभी जांच प्रतिवेदनों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा/धाराओं, मौके की स्थिति का स्पष्ट विवरण, यथासम्भव उपभोक्ता का मोबाईल नम्बर आदि अंकित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. <u>उपभोक्ताओं के लिए राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति (Assessment Review Committee) से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश :–</u>

कई बार उपभोक्ता उक्त नोटिस में वर्णित विद्युत की चोरी या वैधानिक दायित्व की राशि से सहमत नहीं होता है एवं उसके विरूद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहता है। जिसके लिए अधिकृत/सक्षम समिति का गठन किया जाना उपयुक्त है। अतः निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है:–

(अ) <u>वृत स्तरीय राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति (Circle level Assessment Review Committee)</u>:–

वित्तीय सीमा–सिविल लाईबिलिटी राशि रु0 5 लाख तक। आवेदन शुल्क रु0 500/–

<u>समिति के सदस्यः–</u>

1.	अधीक्षण अभियन्ता (पवस)	–	अध्यक्ष
2.	अधिशाषी अभियन्ता (सतर्कता)	–	सदस्य सचिव
3.	उप–अधीक्षक पुलिस (सतर्कता)	–	सदस्य
4.	वृत लेखाधिकारी	–	सदस्य

(ब) <u>संभाग स्तरीय राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति (Zonal level Assessment Review Committee)</u>:–

वित्तीय सीमा–सिविल लाईबिलिटी राशि रु0 5 लाख से अधिक एव रु0 20 लाख तक।

आवेदन शुल्क रु0 750/–

<u>समिति के सदस्यः–</u>

1.	संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस)	–	अध्यक्ष
2.	अधिशाषी अभियन्ता (सतर्कता) (संभाग मुख्यालय पर)	–	सदस्य सचिव
3.	उप–अधीक्षक पुलिस (सतर्कता)	–	सदस्य
4.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	–	सदस्य

(स) <u>निगम स्तरीय राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति (Corporate level Assessment Review Committee)</u> :–

वित्तीय सीमा–सिविल लाईबिलिटी राशि रु0 20 लाख से अधिक।
आवेदन शुल्क रु0 1000/–

समिति के सदस्यः-

1.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/प्रबन्ध निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	निदेशक (तकनीकी)	–	सदस्य
3.	निदेशक (वित्त)	–	सदस्य
4.	मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)	–	सदस्य सचिव
5.	अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)	–	सदस्य
6.	अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता)	–	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता (विधि)	–	सदस्य

उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता निगम द्वारा गठित संबंधित राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष अपील कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी :-

1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 एवं 138 के अंतर्गत पाए गये प्रथम अपराध में सतर्कता जांच प्रतिवेदनों पर राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष प्रोविजनल राजस्व निर्धारण के नोटिस की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर ही अपील दायर की जा सकती है।

2. यदि उपभोक्ता राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति में अपना प्रकरण रखना चाहता है तो उसे सक्षम समिति के अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर करनी होगी एवं संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में वैधानिक दायित्व राशि का 10 प्रतिशत अथवा 5 लाख रूपये, जो भी कम हो व सम्पूर्ण प्रशमन राशि (compounding charges) जमा करवानी होगी।

3. उपरोक्त राशि मय निर्धारित आवेदन शुल्क के सहायक अभियंता कार्यालय में जमा की जावेगी लेकिन उसका विद्युत संबंध पुर्नस्थापित नहीं किया जावेगा।

4. यदि उपभोक्ता अपना कनेक्शन पुर्नस्थापित करवाना चाहता है एवं अपना प्रकरण संबंधित राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति के समक्ष रखना चाहता है तो उसे वैधानिक दायित्व राशि का 50 प्रतिशत एवं समस्त प्रशमन राशि संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। सक्षम समिति के अध्यक्ष की अनुमति से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अपील दायर की जा सकेगी। उक्त मामलों में समिति का निर्णय आवेदक को स्वीकार्य होगा।

5. उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता द्वारा राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति में आवेदन करने के 7 दिवस में सहायक अभियंता पूर्ण प्रकरण मय विवरण संबंधित समिति में भेजना सुनिश्चित करेंगे। सहायक अभियंता द्वारा संबंधित समिति से सुनवाई की तारीख निर्धारित करवाकर, सुनवाई की तारीख, स्थान व समय का सम्पूर्ण ब्यौरा उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता को देना होगा।

6. समिति द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर उसका निस्तारण करना आवश्यक होगा।

7. उपरोक्त समितियों के समक्ष वाद की प्रस्तुति संबंधित प्राधिकृत सतर्कता जांच अधिकारी द्वारा की जावेगी। अधिशाषी अभियन्ता (सतर्कता) यदि स्वयं सतर्कता जांच

अधिकारी हो तो समिति का सदस्य सचिव अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/संभागीय मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सहायक होंगे। आवश्यकतानुसार मीटर विंग/अन्य विंग के अधिकारी अध्यक्ष की अनुमति से समिति में आमंत्रित सदस्य होंगे।

8. उपरोक्त समिति उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता के पक्ष की पूर्ण जानकारी लेगी एवं प्राधिकृत अधिकारी, जिसके द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया है, से भी पूर्ण तथ्यों की जानकारी लेगी एवं विद्युत चोरी की अवधि, सम्बद्ध भार अथवा शिफ्ट (औद्योगिक उपभोक्ताओं के मामले में) के संदर्भ में प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय लेगी।

9. पुनरीक्षण हेतु समिति निम्न बिन्दूओं पर विचार करेगी :–
   (क) कनेक्शन जारी होने अथवा पुर्नस्थापन की दिनांक।
   (ख) मीटर की अन्तिम जांच की दिनांक/जे.आई.आर.।
   (ग) उद्योगों की वर्किंग शिफ्ट।
   (घ) संबंधित मीटर से डाउनलोड की गई लोड सर्वे रिपोर्ट।
   (ड) राजस्व निर्धारण की अवधि।
   (च) ऊर्जा के अवैध दोहन की अवधि के साक्ष्य।

10. समिति को यह अधिकार होगा कि विवाद के निस्तारण हेतु यदि आवश्यक समझे तो किसी सक्षम अधिकारी को विवादित स्थल पर भेजकर रिपोर्ट मंगवा सकेगी एवं उपलब्ध सामग्री/तथ्यों की विवेचना से निर्णय ले सकेगी। अगर समिति उचित समझे तो उपभोक्ता की पूर्ण संतुष्टि के लिये विवादित मीटर की जांच निगम की मीटर लेब में उपभोक्ता की उपस्थिति में करा सकती है। समिति प्रचलित प्रावधानों एवं नियमों/विनियमों के अनुसार निर्णय लेगी।

11. समिति के लिये यह भी वांछनीय होगा कि वह उपभोक्ता या प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दें। अगर उपभोक्ता प्रथम बार समिति के समक्ष सुनवाई में नहीं आता है, तो उसे दूसरा व अन्तिम अवसर दिया जावेगा एवं उसके उपरांत भी नहीं आने पर उसके प्रकरण पर एक तरफा निर्णय ले लिया जावेगा, जिसका पूर्ण विवरण समिति द्वारा आदेश में दिया जावेगा एवं आदेशानुसार सहायक अभियंता द्वारा पुनः विद्युत संबंध विच्छेदित करने की कार्यवाही की जावेगी।

12. समिति सकारण आदेश (स्पीकिंग आर्डर) जारी करते समय निम्न बातों का ध्यान रखेगी –
   i. वसूलनीय राजस्व निर्धारण सही है ।
   ii. वसूलनीय राजस्व निर्धारण राशि कम किये जाने का कारण स्पष्ट किया जाना सुनिश्चित किया जावे । यदि यह बिना कारण कम किया गया है तो समिति के अध्यक्ष जिम्मेदार होंगे ।

13. समिति के आदेशानुसार अगर उपभोक्ता/गैर उपभोक्ता से कोई राशि और जमा करवानी है, तो यह सहायक अभियंता की जिम्मेदारी होगी कि वह आदेशानुसार कार्यवाही करें।

14. समिति द्वारा ऐसे प्राप्त आवेदनों की सूचना तत्काल संबंधित पुलिस थाने को प्रेषित की जायेगी।

15. राजस्व निर्धारण पुनरीक्षण समिति की बैठक के लिये समिति के अध्यक्ष सहित 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

आज्ञा से

(पी जे धोबी)
मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न–की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़/ जैसलमेर /सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइड पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु) ।
- M/s Bikaner Electricity Supply Company, IInd Floor, 3-K-9, Pavanpuri, Bikaner(Raj). 334001
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एंव रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/ बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़।
- प्रावेधिक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,.....(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

1019